राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2309/2025

केदारमल चौधरी —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (नियम), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. एडीजीपी (आर्म्ड बटालियन), पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
4. कमांडेंट, 13वी बटालियन, आरएसी, जेल सुरक्षा, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर शाखा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.03.2025
आदेश की दिनांक : 27.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री टी.एल. पाण्डे, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी की वरिष्ठता मूल मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ एवं काल्पनिक लाभ देते हुए मय शेष राशि तथा ब्याज का भुगतान किया जावे तथा उनसे कनिष्ठ कार्मिक जिसने कार्यग्रहण यिा उसी कार्यग्रहण तिथि एवं मेरिट सूची के अनुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता का सही निर्धारण किया जावे।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने विज्ञप्ति दिनांक 28.09.2012 के अनुसार आरएसी में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया और उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की तथा अन्य परीक्षायें भी उत्तीर्ण की और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 के तहत अंतिम चयन सूची दिनांक 28.10.2014 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का मेरिट क्रमांक संख्या 155 पर अंकित किया गया और श्री शिव दयाल

चौधरी उसका भी चयन हुआ और मेरिट सूची में वह अपीलार्थी से कनिष्ठ था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 20.10.2014 को नियुक्ति प्रदान की। उनका कथन है कि अपीलार्थी को नियुक्ति विलम्ब से दी गई। अपीलार्थी को वर्ष 2014 में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया और 9 वर्ष पश्चात् प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से प्राप्त करने का अधिकारी हुआ। परन्तु अपीलार्थी के असंतुष्ट होने पर उसने वरिष्ठता आदि के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के साथ पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया, जिससे अपीलार्थी को आर्थिक नुकसान हुआ। उनका कथन है कि इसी प्रकरण के समान अन्य मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2871/2023 में आदेश दिनांक 28.03.2023 को पारित किया और प्रत्यर्थी विभाग को प्रार्थी की वरिष्ठता को सुधारने एवं काल्पनिक लाभ देते हुए उसे वरिष्ठता प्रदान करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी का मामला भी उक्त मामले के समान है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त मामले के तरह लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया, जो नियम एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी की वरिष्ठता मूल मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ एवं काल्पनिक लाभ देते हुये मय शेष राशि तथा ब्याज का भुगतान किया जावे और उनसे कनिष्ठ कार्मिक जिसने कार्यग्रहण किया उसी कार्यग्रहण तिथि एवं मेरिट सूची के अनुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता का सही निर्धारण किया जावे।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे।

सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)